भारत में रामसर स्थल

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : रामसर स्थल	**तृतीय प्रश्न पत्र :** पर्यावरण संबद्ध मुद्दे

प्रसंग

- हाल ही में, भारत ने अंतरराष्ट्रीय महत्व के पांच (5) नए आर्द्रभूमि स्थल को नामित किया है।
- ज्ञातव्य है कि इसमें तमिलनाडु में तीन आर्द्रभूमि स्थल (करीकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लिकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव), मिजोरम में एक (पाला आर्द्रभूमि) और मध्य प्रदेश में एक आर्द्रभूमि स्थल (साख्य सागर) शामिल हैं।
- वर्तमान में देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गयी है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

पृष्ठभूमि

- विदित है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस की पूर्व संध्या पर आर्द्रभूमि पर रामसर सम्मेलन ने गुजरात में जामनगर के पास खिजड़िया पक्षी अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखिरा वन्यजीव अभयारण्य को अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था।
- रामसर कन्वेंशन, जो 1971 में अस्तित्व में आया, एक अंतर सरकारी संधि है, जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और समझदारी पूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा प्रदान करती है।
- वर्तमान में देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 54 हो गयी है, जो दक्षिण एशिया के किसी भी देश के लिए सबसे अधिक है।

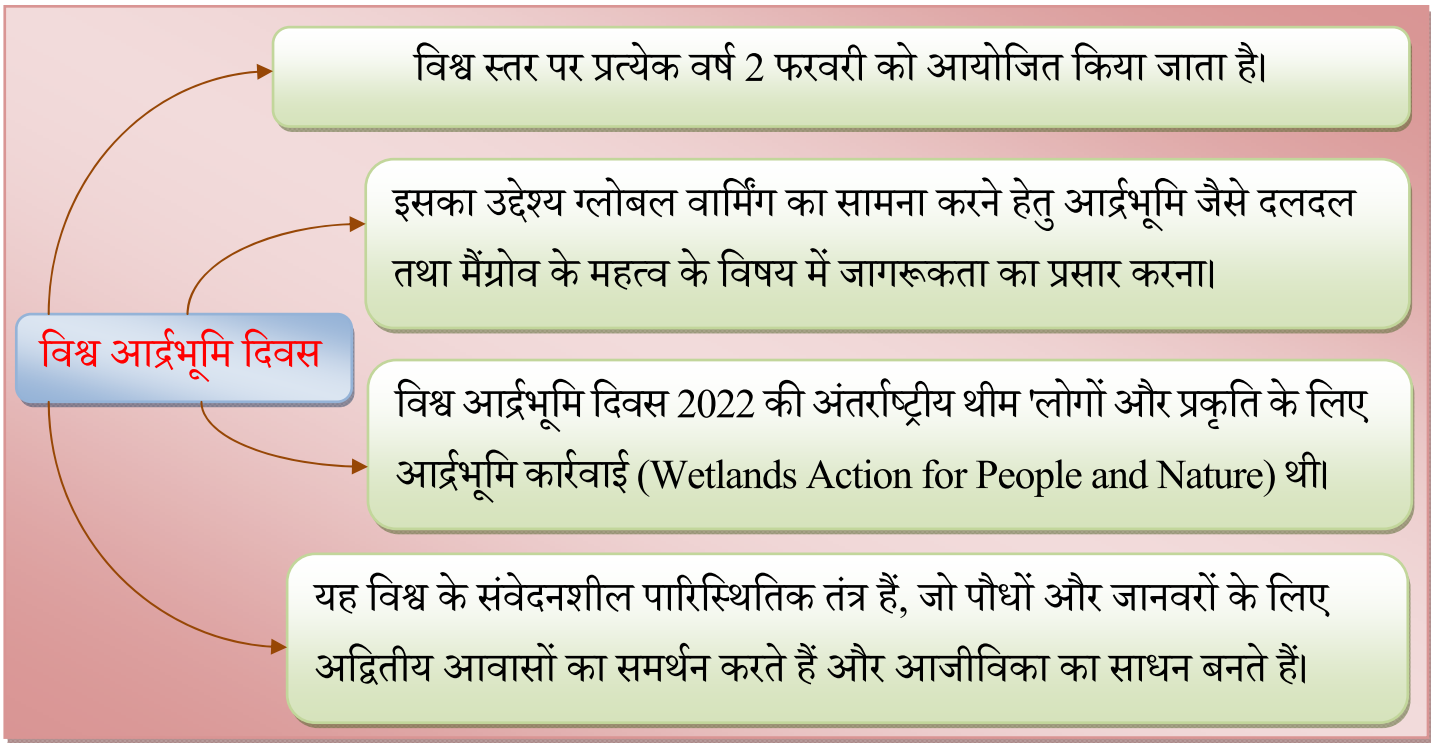

आर्द्रभूमि की परिभाषा

- आर्द्रभूमि को ऐसे भू-भाग के रूप में संदर्भित किया जाता है, जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थाई रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त (सचुरेटेड) हो या उसमें डूबा रहे।
- विदित है कि ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्रभूमियों को परिभाषित करता है।
- जैवविविधता की दृष्टि से आर्द्रभूमियाँ अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र होते हैं।

- वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन आद्रभूमि को "मार्श, फेन, पीट भूमि या जल क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करता है।
- यह प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, स्थिर या जल बहाव क्षेत्र है। यह ताजा, खारा या नमक युक्त हो सकता है, जिसमें समुद्री जल के क्षेत्र भी शामिल हैं। जिनमें से ज्वार छह मीटर से अधिक नहीं होता है।
- अन्य शब्दों में, आर्द्रभूमि वे क्षेत्र हैं, जहां जल मिट्टी को ढकता है या पूरे वर्ष या तो मिट्टी की सतह पर या उसके पास मौजूद रहता है।
- ज्ञातव्य है कि जल संतृप्ति (जल विज्ञान) काफी हद तक यह निर्धारित करता है कि मिट्टी कैसे विकसित होती है और मिट्टी में और उस पर रहने वाले पौधों और पशु समुदायों के प्रकार कैसे होते हैं।
- आर्द्रभूमि जलीय और स्थलीय दोनों प्रजातियों का समर्थन कर सकती है।
- जल की लंबे समय तक उपस्थिति ऐसी स्थितियां पैदा करती है, जो विशेष रूप से अनुकूलित पौधों (हाइड्रोफाइट्स) के विकास का पक्ष लेती हैं और विशिष्ट आर्द्रभूमि (हाइड्रिक) मिट्टी के विकास को बढ़ावा देती हैं।

आर्द्रभूमि की श्रेणियाँ

- मिट्टी, स्थलाकृति, जलवायु, जल विज्ञान, जल रसायन, वनस्पति और मानव हस्तक्षेप सहित अन्य कारकों में क्षेत्रीय और स्थानीय अंतर के कारण आर्द्रभूमि व्यापक रूप से भिन्न होती है।
- वास्तव में, आर्द्रभूमि टुंड्रा से लेकर उष्ण कटिबंध तक और अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं।
- आर्द्रभूमि की दो सामान्य श्रेणियों को मान्यता दी गई है:
    - तटीय या ज्वारीय आर्द्रभूमि
        - वैज्ञानिकों ने दस लाख से अधिक उपग्रह चित्रों का विश्लेषण कर पता लगाया है कि दुनिया भर में पिछले बीस वर्षों में 4,000 वर्ग किलोमीटर ज्वारीय आर्द्रभूमि की हानि हुई है।

- विश्व भर में हो रहे बदलावों और लोगों की गतिविधियां दुनिया भर में ज्वारीय आर्द्रभूमि, ज्वारीय दलदल, मैंग्रोव और ज्वारीय भूमि में तेजी से बदलाव ला रही हैं।
- वैश्विक स्तर पर उनकी वर्तमान और भविष्य की स्थिति का अनुमान लगाने के प्रयास अनिश्चित हैं। ज्वारीय आर्द्रभूमि में बदलाव करने के पीछे बहुत से प्राकृतिक और मानवीय कारण हैं।
- विश्व भर में 13,700 वर्ग किलोमीटर ज्वारीय आर्द्रभूमि का नुकसान हो गया है। 9,700 वर्ग किलोमीटर में बदलाव के चलते दो दशक की अवधि में 4,000 वर्ग किलोमीटर का कुल नुकसान हुआ है।
- कुल वैश्विक ज्वारीय आर्द्रभूमि में लगभग तीन-चौथाई कमी एशिया में हुई, जिसमें से लगभग 70 फीसदी इंडोनेशिया, चीन और म्यांमार में हुई है।

o अंतर्देशीय या गैर-ज्वारीय आर्द्रभूमि।

- अंतर्देशीय/गैर-ज्वारीय आर्द्रभूमि नदियों और नालों (तटीय आर्द्रभूमि) के साथ बाढ़ के मैदानों पर सामान्य हैं।
- इसके अंतर्गत शुष्क भूमि से घिरे पृथक अवसादों में (उदाहरण के लिए, प्लाया, बेसिन और "गड्ढे"), झीलों और तालाबों के किनारों के साथ अन्य निचले इलाके जहां भूजल मिट्टी की सतह को रोकता है या जहां वर्षा पर्याप्त रूप से मिट्टी (वर्नल पूल और बोग्स) को संतृप्त करती है।
- अंतर्देशीय आर्द्रभूमि में दलदली और गीली घास के मैदान शामिल हैं, जहां जड़ी-बूटियों के पौधों का प्रभुत्व है।

- आर्द्रभूमि के वर्गीकरण के तहत निम्नलिखित तीन विशेषताओं में से एक या अधिक होना चाहिए:
  1. कम से कम समय-समय पर, भूमि मुख्य रूप से हाइड्रोफाइट्स का समर्थन करती है।
  2. सब्सट्रेट मुख्य रूप से अप्रशिक्षित हाइड्रिक मिट्टी है।
  3. सब्सट्रेट गैर-मिट्टी है और प्रत्येक वर्ष के बढ़ते मौसम के दौरान किसी समय पानी से संतृप्त होता है या उथले पानी से ढका होता है।

भारत में आर्द्रभूमि की परिभाषा

- भारत सरकार की आर्द्रभूमि की परिभाषा में नदी के चैनल, धान के खेत और अन्य क्षेत्र, जहाँ वाणिज्यिक गतिविधि होती है, शामिल नहीं हैं।
- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 आर्द्रभूमि को "मार्श, फेन, पीटलैंड या पानी के क्षेत्र" के रूप में परिभाषित करता है।
- यह प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, स्थिर या जल बहाव क्षेत्र है। यह ताजा, खारा या नमक युक्त हो सकता है, जिसमें समुद्री जल के क्षेत्र भी शामिल हैं। जिनमें से ज्वार छह मीटर से अधिक नहीं होता है।
- यद्यपि इसमें नदी चैनल, धान के खेत शामिल नहीं हैं।
- मानव निर्मित जल निकायों / टैंकों का निर्माण विशेष रूप से पेयजल उद्देश्यों के लिए और विशेष रूप से जलीय कृषि, नमक उत्पादन, मनोरंजन और सिंचाई उद्देश्यों के लिए निर्मित संरचनाओं के लिए किया गया है।

भारत में आर्द्रभूमि

- विश्व स्तर पर, आर्द्रभूमि दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का 6.4 प्रतिशत कवर करती है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा संकलित राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और आकलन के अनुसार भारत में, आर्द्रभूमि 1,52,600 वर्ग किलोमीटर (वर्ग किमी) में फैली हुई है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63 प्रतिशत है।
- 1,52,600 वर्ग किमी में, अंतर्देशीय-प्राकृतिक आर्द्रभूमि 43.4% और तटीय-प्राकृतिक आर्द्रभूमि 24.3% है।
- यह नदियों/नालों में 52,600 वर्ग किमी, जलाशयों/बैराजों में 24,800 वर्ग किमी, अंतर-ज्वारीय मडफ्लैट्स 24,100 वर्ग किमी, टैंक/तालाब 13,100 वर्ग किमी और झील/तालाब 7300 वर्ग किमी हैं।
- विदित है कि भारत में 19 प्रकार की आर्द्रभूमि है। आर्द्रभूमि के राज्य-वार वितरण में, गुजरात 34,700 वर्ग किमी (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17.56 प्रतिशत) के साथ शीर्ष पर है।
- इसके बाद आंध्र प्रदेश (14,500 वर्ग किमी), उत्तर प्रदेश (12,400 वर्ग किमी) और पश्चिम बंगाल (11,100 वर्ग किमी) का स्थान है।

रामसर साइट

- रामसर साइट आर्द्रभूमि हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है।
- विदित है कि कोई भी आर्द्रभूमि साइट, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध किया गया है और जिसका उद्देश्य इसे संरक्षित करना और इसके प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है, रामसर साइट कहलाती हैं।

प्रभावी

- रामसर कन्वेंशन को वेटलैंड्स के कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। यह 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था और 1975 में प्रभावी हुआ था।

रामसर कन्वेंशन और भारत

- भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए।
- वर्तमान में देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गयी है।

आर्द्रभूमियों का वैश्विक परिदृश्य

- रामसर सूची के अनुसार, सबसे अधिक रामसर साइट वाले देश यूनाइटेड किंगडम (175) और मैक्सिको (142) हैं।
- कन्वेंशन संरक्षण के तहत बोलीविया का क्षेत्रफल 148,000 वर्ग किमी के साथ सबसे बड़ा है।
- कनाडा, चाड, कांगो और रूसी संघ ने भी 100,000 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्रों को आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया है।

मध्य एशियाई उड़ान मार्ग (Central Asian Flyway: CAF) में भारत का महत्व

- मध्य एशिया और साइबेरिया के पक्षियों की दर्जनों प्रजातियां भारत और भूमध्यरेखीय क्षेत्रों सहित गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवास करती हैं।
- जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों (सीएमएस) के संरक्षण पर कन्वेंशन के अनुसार, सीएएफ, जिसमें 30 देश शामिल हैं, 182 प्रवासी जलपक्षी प्रजातियों की कम से कम 279 आबादी को कवर करता है, जिसमें 29 विश्व स्तर पर खतरे वाली और निकट-खतरे वाली प्रजातियां शामिल हैं।

- भारत में आर्द्रभूमि सर्दियों के दौरान इन प्रवासी पक्षियों के लिए चारागाह और विश्राम स्थल के रूप में कार्य करती है।

रामसर सूची का महत्व

- रामसर सचिवालय द्वारा आर्द्रभूमि को वैश्विक महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित करने से वैश्विक निकाय द्वारा प्रबंधन के दृष्टिकोण को मान्यता प्राप्त होती है।
- इसके द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना आवश्यक होता है, जिससे यह शामिल देश को उत्प्रेरित करता है कि इसके मानकों को बनाए रखा जाए।
- रामसर टैग परोक्ष रूप से भी मदद करता है, क्योंकि हर रामसर साइट वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत एक अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र नहीं है, इसलिए वहां व्यवस्थित संरक्षण व्यवस्था की कमी होती है।

स्रोत: द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस